न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2016

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 बाबाराम पुत्र वनाराम जाति मेघवाल निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली		1 सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी राणावतान, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चामुण्डेरी, तहसील बाली 2 गलबाराम पुत्र समाजी जाति मेघवाल निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सी0पी0सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: निर्णय :—

दिनांक 29/11/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 12/2003—2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1294 दिनांक ..... के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चामुण्डेरी में भांबियों के बास में प्रार्थी एवं उसके परिवार का पैतृक मकान आया हुआ स्थित है, जिसमें उत्तर में वनाराम का मकान, दक्षिण में चेलाराम का मकान, पूर्व में पडत भूमि तथा पश्चिम में आम रास्ता है। उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता वनाराम व चाचा जोधाराम को संयुक्त रूप से पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.04.1971 को जारी किया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत का कोई हक अधिकार नही था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर इसी भूमि पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि एक बार भूमि का पट्टा जारी होने के पश्चात उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी के पैतृक रहवासीय मकान के पट्टे की भूमि है, जो अडौस पडौस से साबित है। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी गलबाराम ने अपने हस्ताक्षर से किसी प्रकार का आवेदन पेश ही नही किया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता है कि वार्डपंचों ने कौनसी भूमि का मौका देखा तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से भी यह स्पष्ट नही है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी के पैतृक रहवासीय मकान की भूमि हो। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने अप्रार्थी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण नही किया तथा नही नक्शा मौका तैयार किया। जो रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न है, उस पर न तो ग्राम

अति० जिला कलक्टर, पाली

सेवक के हस्ताक्षर है तथा न ही अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी नही किया गया। इस कारण जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी अपनी आपत्ति भी प्रस्तुत नही कर सका। मिसल के संलग्न जो बयान है, उनसे यह स्पष्ट नही होता कि किस व्यक्ति ने किस सन्दर्भ में बयान दिये है तथा बयानों पर हस्ताक्षर ही नही है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी किराणा की दुकान होना बता रहा है अर्थात उक्त भूमि पर अप्रार्थी का रहवासीय मकान नही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि पर दुबारा अप्रार्थी के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा को अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (2) पेज 272, डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (3) पेज 203, डब्ल्यू0एल0एन0 2017 (2) पेज 404, डी.एन.जे. 2015(2) पेज 595 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही कर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। पट्टा 12 वर्ष पूर्व जारी किया गया है एवं पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का लगातार आधिपत्य है। अप्रार्थी का दुकान परिसर स्थित है, जिसमें अप्रार्थी किराणे का व्यापार करता है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने फर्जी पट्टा पेश करते हुए उसके आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है तथा उक्त तथाकथित फर्जी पट्टे की भी फोटो प्रति पेश की है। पूर्व में जारी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का कथन है कि उक्त तथाकथित पट्टा पंचायत द्वारा जारी ही नही हुआ है। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा उक्त कब्जे के समर्थन में फोटो प्रस्तुत किये है। मिसल की कार्यवाही टेम्परिंग की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण अप्रार्थी के पक्ष में प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का सम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 12/2003–2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1294 दिनांक ..... के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी गलबाराम के नाम से ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 27.05.2003 को एक प्रार्थना पत्र बाबत भूमि का विक्रय विलेख हासिल करने का प्रस्तुत हुआ, जिस पर आवेदन के हस्ताक्षर ही नही है। इस प्रार्थना पत्र में जो वांछित भूमि के पडौस दर्शाए है, उनमें पूर्व में बाबाराम पुत्र वनाजी मेघवाल, पश्चिम में रास्ता व दरवाजा, उत्तर में छोगाराम पुत्र जोधाजी का मकान एवं दक्षिण में बाबाराम पुत्र वनाजी का मकान होना अंकित है। इस आवेदन पत्र पर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.01.2004 को मिसल कायम कर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को मौका नक्शा बनाने एवं तीन पंचो को मौका निरीक्षण करने हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में जो

अति० जिला कलेक्टर, पाली

नक्शा मौका तैयार किया गया है, वह किसके द्वारा तैयार किया गया, अंकित नही है तथा न ही ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। तीन वार्ड पंचो द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियम 148 के तहत प्रपत्र 22 योग 30 दिनों का आपत्ति पत्र जारी कराने का निवेदन किया। उक्त रिपोर्ट पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.02.2004 के जरिये 30 दिवस का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर न तो दिनांक अंकित है तथा न ही वह स्थान एवं व्यक्ति आदि अंकित है, जिनके समक्ष आपत्ति पत्र चस्पा किया गया हो। इसके पश्चात निर्धारित अवधि तक किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.03.2004 के अनुक्रम में दो गवाहो के बयान कलमबद्ध किया जाना अंकित है। बयान किन गवाहों के लिये गये, अंकित नही है तथा न ही किसके द्वारा बयान कलमबद्ध किये गये है, अंकित है। इसके अतिरिक्त बयान देने वाले के हस्ताक्षर ही नही है। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.2004 के अनुक्रम में नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर ही नही है। बिना हस्ताक्षर के ही पट्टा जारी किया गया है।

प्रार्थी द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता जोधाराम व चाचा वनाराम को संयुक्त रूप से पट्टा संख्या 41 दिनांक 06.04.1971 को जारी किया गया है, जिसका क्षैत्रफल 2800 वर्गफीट है तथा जैर निगरानी पट्टे की भूमि का क्षैत्रफल 157.25 वर्ग फीट है। पट्टा संख्या 41 के पडौस एवं जैर निगरानी पट्टे में अंकित पडौस का परस्पर मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि जोधाराम व वनाराम के नाम जारी पट्टा संख्या 41 की भूमि में समाहित होती है। अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी की दुकान है तथा अप्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी ने इन तथ्यों के समर्थन में दुकान के फोटो, विद्युत उपभोग विपत्र की फोटो प्रतियां आदि प्रस्तुत की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, जो वह तद्नुसार आदेश पारित करने बाबत अधिकार प्रदान किया गया है। विधिक दृष्टिकोण से हस्तगत प्रकरण की जांच करने पर यह प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 (1) (3), 147, 148 (2) में विहित प्रक्रिया का पूर्णरूपेण पालन नही किया गया है, साथ ही जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नही है, बिना हस्ताक्षर के ही पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टे की भूमि पूर्व में जारी पट्टा संख्या 41 की भूमि में समाहित होने के कारण ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा अप्रार्थी संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

2 के पक्ष में पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को न्यायोचित नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चामुण्डेरी द्वारा मिसल संख्या 12/2003–2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.2004 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1294 दिनांक ..... को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत चामुण्डेरी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत चामुण्डेरी का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली